

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 16-20/2016/2/34

भोपाल, दिनांक

14 SEP 2017

आदेश

तकनीकी समिति की छठवीं बैठक दिनांक 21 अगस्त 2017 की अनुशंसाओं को मान्य करते हुये दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के पूर्व आमंत्रित की गई ऐसी निविदाओं को निरस्त कर दिया जावे, जिनके एल.ओ.ए. (Letter of Acceptance) जारी हो चुके हैं अथवा एल.ओ.ए. जारी होने की स्थिति में है तथा अनुबंध संपादित नहीं हुये हैं। इस प्रकार की गई निविदा निरस्ती उपरांत संबंधित निविदाकारों की धरोहर राशि (Earnest Money) भी उन्हें लौटा दी जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(राजेश शrivastava)
14/09/2017

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16-20/2016/2/34

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।


(राजेश शrivastava)
14/09/2017

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग